न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 75/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. ऐमना पत्नि सद्दीक जाति मेव,
2. सद्दीक पुत्र उमर खां जाति मेव निवसीयान ग्राम खैरथल तहसील मुण्डावर वास्तविक तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. करीम खां पुत्र आसीन खां जाति मेव निवासी ग्राम खोहड़ा करमाली तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री संजय कुमार अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 06.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट तहत अधीनस्थ न्यायालय में वाद के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 682 रकबा 0.01 है0, 683 रकबा 0.03 है0 किता 2 रकबा 0.04 है0, चा0 नं0 677 रकबा 0.18, 680 रकबा 0.13, 684 रकबा 0.06, 685 रकबा 0.05 किता 4 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम खोहड़ा करमाली तहसील रामगढ़ जिला अलवर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें व कब्जा ना करें, अतिक्रमण व अतिचार ना करें, किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का नींव निर्माण ना करें, वादी को फसल बोने, काटने समेटने में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत ना करें, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खोहड़ा करमाली में दि0 06.06.2016 को

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म कर दिया जिस निर्णय दि0 06.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 682 व 683 से हम अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, शेष आराजी ख0 नं0 677, 680, 684, 685 जिसमें रेस्पो0 का 1/6 हिस्सा यानि 0.07 है0 निहित था ना कि 1/8 भाग । अपीलांट सं0 1 ने रेस्पो0 से उक्त आराजी किता 4 रकबा 0.42 है0 में से उसके निहित सम्पूर्ण भाग 1/6 भाग यानि 0.07 है0 भूमि को तयशुदा प्रतिफल अदा कर बाकब्जा जर्ये बयनामा दि0 1.8.2012 के खरीद कर ली । वक्त खरीद से ही अपीलांट सं0 1 बोनाफाईड परचेजर की हैसियत से मौके पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है । अपीलांट सं0 2 जो कि अपीलांट सं0 1 का पति है इस खरीदशुदा आराजी पर कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं जिस आराजी से रेस्पो0 व अन्य किसी भी शख्स का कोई लेना देना नहीं है । इस प्रकार रेस्पो0 सं0 1 के हक में किसी भी प्रकार से प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति नहीं होती है । रेस्पो0 तहत न्यायालय में शुद्धहस्त से दावा व प्रार्थना पत्र लेकर नहीं आया है । रेस्पो0 ने बयनामा के तथ्य को छुपाया है ।

बहस में अपीलांट ने आगे कहा कि तहत न्यायालय द्धारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य के विपरीत, विधि विरूद्ध, खिलाफ मौका व कब्जा, वस्तुस्थिति के विपरीत व रेस्पो0 के हक में तीनों बिन्दु साबित न होने के बावजूद महज रेस्पो0 के कथनों पर विश्वास करते हुए हम अपीलांट को बिना सूचित किये पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखते हुए गलत निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 ने कहा कि तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 6.6.2016 के खिलाफ अपीलांट ने अपील पेश की है । अपीलांट ने अपील देरी से पेश की है जिसमें हमने कैवियट लगाया है । रेस्पो0 ने धारा 5 का अवलोकन कराया और अपीलांट ने यह नहीं बताया कि इस निर्णय की नकल कब ली है तथा जानकारी कब हुई । जब अपीलांट को कैवियट से सूचना मिल गयी तो अपीलांट ने अपील देरी से पेश क्यों की ? इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रोपर नहीं पेश किया है तथा सही कारण भी देरी के दर्शित नहीं किये हैं । इसलिए अपीलांट की अपील मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावें । तहत न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । तहत न्यायालय द्धारा पारित निर्णय दिनांक 6.6.2016 का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय द्धरा पारित निर्णय स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में होना नहीं पाया जाता है । धारा 212 आर.टी.एक्ट के तीनों प्रावधानों तथा दावा व जवाब दावा एवं उभयपक्षों की बहस तथा कानूनी बिन्दुओं का विवेचन किये बिना तहत न्यायालय ने निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है । जहां तक धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रश्न है, जब निर्णय ही गुणावगुण पर नहीं है और अपीलांट स्वयं का कथन है कि कैम्प कोर्ट में वे उपस्थित ही नहीं थे तो निर्णय किस प्रकार से बिना सुने पारित

किया है । अतः मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर रेस्पो0 अभिभाषक की आपत्तियां निरस्त की जाती है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दि0 06.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनकर तथा धारा 212 आर.टी.एक्ट के तीनों प्रावधानों पर प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का हवाला देते हुए अपीलांट के पक्ष में निष्पादित बयनामा का उल्लेख करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर